12-1

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा

संख्याः 43 /XXXV-4/16/03(08-मु0घो0)2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 04, मार्च, 2016

विषय– **मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा लघु सिंचाई विभाग हेतु की गयी घोषणा संख्या : 1402/2015 के क्रियान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ₹20.48 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्या–1444/XXVII(1)/2015 दिनांकः 14 दिसम्बर, 2015 एवं मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–08/XXXV-4/2016 दिनांकः 05 जनवरी, 2016 के अनुक्रम में स्वीकृत ₹20.00 करोड़ के सापेक्ष मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 16.06.2015 को जनपद पिथौरागढ में की गयी घोषणा संख्याः 1402/2015 (हुपुली में 500 मीटर सिंचाई गूल का निर्माण किया जाएगा) के कियान्वयन हेतु गठित आगणन की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹20.48 लाख (रुबीस लाख अड़तालीस हजार मात्र) पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित कर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके (जिलाधिकारी, पिथौरागढ़–4217) निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त धनराशि कुल **₹20.48 लाख (रुबीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तो के अधीन अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) आकस्मिकता निधि से उपर्युक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक आय–व्ययक अथवा वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में नई मांग के माध्यम से संगत योजना की मानक मद में धनराशि की व्यवस्था कराते हुए प्राप्त होने वाली धनराशि द्वारा यथासमय कर ली जायेगी।

(3) कार्य की प्रगति की निरतंर एवं गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्व रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4) उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(6) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग तत्काल सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–400/XXVII(1) /2015 दिनांकः 1अप्रैल, 2015 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा शासन द्वारा मितव्यता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(14) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(15) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(16) उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरणअधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हों।

(17) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण उपयोग कर कार्यो का कार्यभार वित्तीय/भौतिकी प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(18) प्रत्येक मामले में लाभ लागत अनुपात का परीक्षण/प्रमाणीकरण इस सम्बन्ध में निर्धारित मानकों एवं मान्य व्यवस्थानुसार सुनिश्चित कर लिया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस दृष्टि से योजनाओं का क्रियान्वयन अलाभप्रद नहीं है।

(19) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(20) योजना पर शिलापट्ट/साईन बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाय, जिस पर योजना का नाम, योजना की लागत तथा घोषणा से सम्बन्धित आवश्यक विवरण अंकित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या–08/XXXV-4/2016 दिनांकः 05 जनवरी, 2016 के अनुक्रम में स्वीकृत ₹20.00 करोड़ प्राविधानित व्यवस्था के सापेक्ष प्रथमतः लेखाषीर्षक–8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि–लेखा–201 समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या–3 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 60–अन्य भवन, 800–अन्य व्यय, 02–मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0सं0:167(P)/XXVII(5)/2015 दिनांकः 01मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 43/XXXV-4/16/04(08-मु0घो0)2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0मंत्री, लघु सिचाई मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, एफ0आर0डी0सी, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
7. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
11. अनुसचिव (लेखा) आहरण वितहरण अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखण्ड शासन।
12. वित्त अनुभाग–5/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
14. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राजू)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, CM Ghoshna (S068)

आवंटन पत्र संख्या - 43/XXXV-4/16/03(08-CMGhoshna)2015

अनुदान संख्या - PAC

अलोटमेंट आई डी - S1603990098

आवंटन पत्र दिनांक - 04-Mar-2016

लेखा शीर्षक - 8000-00-201-00-00 (राज्य आकस्मिकता निधि)

HOD Name - Chief Engineer Minor Irrigation (2233)

लेखा शीर्षक	4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	60 - अन्य भवन
जिसमे	800 - अन्य व्यय	
समायोजन होना है -	00 - k	02 - मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनु (अनुदान संख्या - 003)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	693000	2048000	2741000
	693000	**2048000**	**2741000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2048000